न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 423 सन 2021
अनवान :–

1. तारामणि पुत्री केसराराम पत्नी प्रतापसिह जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा हाल निवासी दडोली तहसील आदमपुर जिला हिसार ।

वादी

बनाम

1. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थितः– श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 27/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 347/59 के खसरा न0 107/2 की 5.9170हैक्‍ भूमि में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 348/330 के खाता संख्या 93 की कुल 17.4770हैक्‍ भूमि में से 4681/174770हिस्सा भूमि वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से तारामीण पुत्री केसराराम के स्थान पर भूप पुत्री केसराराम दर्ज हो गया जबकि वादीया का सही नाम तारामणी पुत्री केसराराम पत्नी प्रतापसिह जाति जाट साकिन मेहलिया हाल आबाद दहोली तहसील आदमपुर है वादीया की अन्य दस्तावेजात में वादीया नाम सही तौर से तारामणी पुत्री केसराराम पत्नि प्रतापसिह दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादीया का नाम भूप पुत्री केसराराम दर्ज किया हुआ है

वादी का नाम/पता राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान केडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादीया का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादीया का नाम तारामणी पुत्री केसराराम दर्ज है वादीया राजस्व रिकार्ड में अपना का नाम/पता संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 347/59 के खसरा न0 107/2 की 5.9170हैक्‍ भूमि में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 348/330 के खाता संख्या 93 की कुल 17.4770हैक्‍ भूमि में से 4681/174770हिस्सा में वादीया का नाम भूप पुत्री केसराराम के स्थान पर तारामणि पुत्री केसराराम पत्नी प्रतापसिह जाति जाट साकिन मेहलिया हाल दहोली तहसील आदमुपर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 347/59 के खसरा न0 107/2 की 5.9170हैक्‍ भूमि में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 348/330 के खाता संख्या 93 की कुल 17.4770हैक्‍ भूमि में से 4681/174770हिस्सा भूमि वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से तारामीण पुत्री केसराराम के स्थान पर भूप पुत्री केसराराम दर्ज हो गया जबकि वादीया का सही नाम तारामणी पुत्री केसराराम पत्नी प्रतापसिह जाति जाट साकिन मेहलिया हाल आबाद दहोली तहसील आदमपुर है वादीया की अन्य दस्तावेजात में वादीया नाम सही तौर से तारामणी पुत्री केसराराम पत्नि प्रतापसिह दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादीया का नाम भूप पुत्री केसराराम दर्ज किया हुआ है

वादी का नाम/पता राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तिय सुविधाऐं जैसे अनुदान किसान केडिट कार्ड , खाद बीज का ऋण आदि प्राप्त नही हो पा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादीया का नाम अन्य दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि सभी में वादीया का नाम तारामणी पुत्री केसराराम दर्ज है वादीया राजस्व रिकार्ड में अपना का नाम/पता संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 347/59 के खसरा न0 107/2 की 5.9170हैक भूमि में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 348/330 के खाता संख्या 93 की कुल 17.4770हैक भूमि में से 4681/174770हिस्सा भूमि में वादीया का नाम भूप पुत्री केसराराम के स्थान पर तारामणि पुत्री केसराराम पत्नि प्रतापसिह जाति जाट साकिन मेहलिया हाल देहाली तहसील आदमपुर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 347/59 के खसरा न0 107/2 की 5.9170हैक भूमि में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 348/330 के खाता संख्या 93 की कुल 17.4770हैक भूमि में से 4681/174770हिस्सा भूमि वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादीया का नाम भुप पुत्री केसराराम दर्ज है ।

वादीया का कथन है कि वादीया का सही नाम तारामणि पुत्री केसराराम है राजस्व रिकार्ड में सहवन से भूप पुत्री केसराराम दर्ज किया गया है जो गलत है वादीया अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

वादीया ने अपने कथनो के समर्थन में दस्तावेजात भारत निर्वाचन आयोक का मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, यूना बैक की पासबुक आदि की प्रतिया पेश की जिसके अनुसार वादीया का नाम तारामणि पुत्री केसराराम पत्नि प्रतापसिह है

सरंपच ग्राम पंचायत बोझला के प्रमाण पत्र के अनुसार वादीया का सही नाम तारामणि है भूप एवं तारामणि एक महिला के नाम है सही नाम तारामणि है इनको में व्यक्तिगत रूप से जानता हु तथा वादीया के भाईयो ने भी शपथ पत्र पेश किया गया है कि वादीया उनकी बहन है जिसका सही नाम तारामणि है सहवन से राजस्व रिकार्ड में भूप दर्ज हुआ है वादीया का नाम तारामणि पुत्री केसराराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो ऐतराज नही है

वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं वादीया के भाईयो के शपथ पत्र एवं पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर वादीया का सही नाम तारामणि होना प्रतीत होता है

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादीया का नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत बोझला के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 347/59 के खसरा न0 107/2 की 5.9170हैक भूमि में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 348/330 के खाता संख्या 93 की कुल 17.4770हैक भूमि में से 4681/174770हिस्सा भूमि में वादीया का नाम भूप पुत्री केसराराम अंकित है के स्थान पर तारामणि उर्फ भूप पुत्री केसराराम पत्नि प्रतापसिह हाल निवासी देहाली तहसील आदमपुर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. तारामणि पुत्री केसराराम पत्नी प्रतापसिह जाति जाट साकिन मेहलिया तहसील भादरा हाल निवासी दडोली तहसील आदमपुर जिला हिसार ।

वादी

बनाम

1 राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 423 सन 2021 निर्णय दिनांक–27/9/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 347/59 के खसरा न0 107/2 की 5.9170हैक भूमि में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 348/330 के खाता संख्या 93 की कुल 17. 4770हैक भूमि में से 4681/174770हिस्सा भूमि में वादीया का नाम भूप पुत्री केसराराम अंकित है के स्थान पर तारामणि उर्फ भूप पुत्री केसराराम पत्नि प्रतापसिह हाल निवासी दडोली तहसील आदमपुर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक27/9/2021को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner